न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–17/2024

जीसीएमएस नं:–2024/195

सीता देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं.–16 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— **प्रार्थीया**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

वकील उपस्थित :

1. श्री रविन्द्र कुमार बलाना एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. राज पैरोकार अप्रार्थी की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 31/10/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि प्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि चक 4 पीजीएम तहसील अनूपगढ का मु.न. 237/18 का 1.265 हैक्टर रकबा जरिये बैयनामा खरीदशुदा है। जमाबन्दी व बैयनामा सलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त रकबा में खेती हेतू कोई रास्ता नहीं है व तीन तरफ से वन विभाग की जमीन है। यह कि उक्त रकबा के चिपते मु.न. 237/17 (47) जो रकबा राज है, कृषि भूमि विवाद रहित है। रास्ता नहीं होने की वजह से खेती सम्बन्धी कार्य में परेशानी होती है व खेती कार्य लगभग असम्भव हो जाता है। प्रार्थीया चक 4 पीजीएम का मु.न. 237/17 (47) के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती हूँ, ताकि खेती सम्बन्धी कार्य सम्भव हो सके।

अतः प्रार्थना है कि कृषि भूमि चक 4 पीजीएम तहसील अनूपगढ के मु.न. 237/17 (47) के कि. न. 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा का रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के चक 4 पीजीएम का पत्थर नं.–237/18 मुरब्बा नं.–60 का किला नं.–2 ता 9, 12 ता 15 कुल 3.036 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि मुताबिक रिकार्ड सीता देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट साकिन अनूपगढ़ 5/12 हिस्सा व कुलदीप कौर पत्नी सकतर सिंह जाति जट सिख साकिन 18 पी 7/12 हिस्सा के नाम सयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है। कुलदीप कौर इस 251ए के प्रकरण में पक्षकार नहीं है। चक 4 पीजीएम का पत्थर नं.–237/17 का किला नं.–5/2 का 0.026, 6/1 का 0.025, 15/2 का 0.025, 16/1 का 0.025, 25/2 का 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.18 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

025, कुल भूमि 0.126 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि रकबा राज दर्ज रिकार्ड है। जो कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के कारण नगरपालिका अनूपगढ़ को डंपिग यार्ड आंवटन के समय शेष रही भूमि है। पत्थर नं.–237/17 के उतर दिशा में पत्थर नं.–291/456 का किला नं.–1 ता 5 की अन्तररेखा (Diffrence Line) जिसके किला नं.–5 में 0.038 हैक्टर अराजीराज रकबा मौजूदा है यह अन्तर रेखा पार करने के बाद पत्थर नं.–291/455 का कला नं.–21 ता 25 में स्वीकृत रास्ता पर आया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीया को पत्थर नं.–291/456 का किला नं.–5 में 0.0038 हैक्टर भूमि रास्ता हेतु ओर स्वीकृत करनी होगी ताक प्रार्थीया के रकबे और गैर मुमकिन रास्ता का मिलान हो सके। प्रार्थीया का पत्थर नं.–237/18 का किला नं.–21 ता 25 में 2–2 बिस्वा स्वीकृत रास्ता दर्ज रकार्ड है। यह रास्ता वन विभाग की भूमि के अन्दर स्वीकृत है। यह रास्ता मौका पर चालू नहीं है। पत्थर नं.–237/18 का किला नं.–16 व 25 वन विभाग के नाम दर्ज है। इसलिए प्रार्थीया के रकबा से रास्ता का मिलान नहीं होता है। पत्थर नं. –237/17 का किला नं.–5, 6, 15, 15, 25 में प्रस्तावित रास्ता के मध्य किसी प्रकार का प्राकृतिक या कृत्रिम अवरोध नहीं है। प्रार्थीया की कृषि भूमि के अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। रिपोर्ट वास्ते आगामी कार्यवाही सादर पेश है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थीया को अपने खेत में जाने के लिए चक 4 पीजीएम तहसील अनूपगढ के मु.न. 237/17 (47) के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा चौड़ा स्वीकृत रास्ता खेत हेतु मांग की है। जो प्रार्थीया के खेत में आने जाने हेतु रकबा राज कृषि भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकि कानूनन खातेदार कृषक की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रकबा राज भूमि में से रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 251ए राजसथान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** ३१/१०/२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.11.18 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़